

बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

पत्रांक-प्र05(2)बजट (स्था0प्रति0)-01/2025 41 (अन्तर) / खाद्य, पटना, दिनांक- 14/11/25

प्रेषक,
मो0 नैय्यर इकबाल
सरकार के सचिव।

सेवा में,
जिला पदाधिकारी, सारण एवं सीतामढ़ी, बिहार।

विषय :- मुख्यशीर्ष-3456, सिविल पूर्ति, उपमुख्य शीर्ष-00, लघुशीर्ष-001 निदेशन तथा प्रशासन, उपशीर्ष-0002 जिला प्रभार, विपत्र कोड 18-3456000010002 अर्न्तगत वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए कुल 1,00,15,000/- (एक करोड़ पंद्रह हजार) रुपये मात्र का आवंटन एवं व्यय की स्वीकृति।

महाशय,
निदेशानुसार उपर्युक्त विषयांकित शीर्ष अर्न्तगत वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु प्रावधानित राशि से वित्त विभाग के पत्रांक-235 दिनांक-01.04.2025, पत्रांक-227/वि0 दिनांक-28.03.2025, पत्रांक-600 दिनांक-06.08.2025 एवं पत्रांक-2561/वि0 दिनांक-17.04.1998 में निहित निदेशों के अनुपालन में निम्नांकित तालिका के अनुसार राशि आवंटित किया जाता है :-

तालिका

क्र0	विस्तृत शीर्ष	विषय शीर्ष	आय व्यय उपबंध/ पुनरीक्षित उपबंध	आवंटित राशि
1	2	3	4	5
1	01 वेतन	0002.01 01 वेतन	59,02,22,000	50,00,000
		0002.01 03 जीवन यापन भत्ता	36,59,38,000	30,00,000
		0002.01 04 मकान किराया भत्ता	5,90,23,000	7,00,000
		0002.01 05 परिवहन भत्ता	1,36,00,000	1,00,000
		0002.01 06 चिकित्सा भत्ता	1,05,96,000	50,000
		0002.01 07 अन्य भत्ता	10,00,000	15,000
	योग-18-3456.00.001.0002.01-वेतन		1,04,03,79,000	88,65,000
2	06 चिकित्सा प्रतिपूर्ति	0002.06 01 चिकित्सा प्रतिपूर्ति	30,00,000	00
	योग-18-3456.00.001.0002.06-चिकित्सा प्रतिपूर्ति		30,00,000	00
3	11 यात्रा व्यय	0002.11 01 यात्रा व्यय	67,00,000	00
	योग-18-3456.00.001.0002.11-यात्रा व्यय		67,00,000	00
4	13 कार्यालय व्यय	0002.13 01 कार्यालय व्यय	1,05,00,000	1,00,000
		0002.13 02 वाहन का ईंधन एवं रख-रखाव	4,00,000	00
		0002.13 03 दूरभाष	2,00,000	50,000
		0002.13 04 विद्युत प्रभार	50,00,000	10,00,000
		0002.13 05 विधि प्रभार	3,00,000	00
		0002.13 06 वर्दी/पोशाक	00	00
		0002.13 10 भाडे की गाडी का भुगतान	3,00,00,000	00
	योग-18-3456.00.001.0002.13-कार्यालय व्यय		4,64,00,000	11,50,000
5	14 किराया महसूल एवं कर	0002.14 01 किराया महसूल एवं कर	1,000	00

	योग-18-3456.00.001.0002.14-किराया महसूल एवं कर		1,000	00
6	16 प्रकाशन और मुद्रण	0002.16 01 प्रकाशन एवं मुद्रण	1,25,00,000	00
	योग-18-3456.00.001.0002.16-प्रकाशन और मुद्रण		1,25,00,000	00
7	20 अन्य प्रशासनिक व्यय	0002.20 02 कॉन्फरेंस, कार्यशाला, सेमिनार	5,00,000	00
	20 अन्य प्रशासनिक व्यय	0002.20 03 प्रशिक्षण व्यय	20,00,000	00
	योग-18-3456.00.001.0002.20-अन्य प्रशासनिक व्यय		25,00,000	00
8	21 सामग्री और पूर्तिया	0002.21 01 सामग्री एवं पूर्तियाँ	50,00,000	00
	योग-18-3456.00.001.0002.21-सामग्री एवं पूर्तियाँ		50,00,000	00
9	26 विज्ञापन और प्रकाशन	0002.26 01 विज्ञापन और प्रकाशन	50,00,000	00
	योग-18-3456.00.001.0002.26-विज्ञापन और प्रकाशन		50,00,000	00
10	28-व्यवसायिक सेवायें	00 02.28 02 संविदा सेवायें	1,50,00,000	00
	योग-18-3456.00.001.0002.28 व्यवसायिक सेवायें		1,50,00,000	00
11	51 मोटर वाहन	0002.51 01 मोटरगाड़ी कार्यालय	1,000	00
	योग-18-3456.00.001.0002.51 मोटर वाहन		1,000	00

कुल योग-18-3456.00.001.0002 जिला प्रभार

1,13,64,81,000

1,00,15,000

2. कुल 1,00,15,000/- (एक करोड़ पंद्रह हजार) रुपये मात्र का आवंटन इस आवंटनादेश से निर्गत किया जा रहा है, जो निम्नवत् है।

“क”

क्र०	जिला कार्यालय का नाम	वेतन 01 01	जी०या०भत्ता 01 03	मकान भत्ता 01 04	परिवहन भत्ता 01 05	चिकित्सा भत्ता 01 06	अन्य भत्ता 01 07	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	जिला पदाधिकारी, छपरा (सारण)	50,00,000	30,00,000	7,00,000	1,00,000	50,000	5,000	88,55,000
2	जिला पदाधिकारी, सितामढी	00	00	00	00	00	10,000	10,000
	कुल योग:-	50,00,000	30,00,000	7,00,000	1,00,000	50,000	15,000	88,65,000

: ख :

क्र० स०	जिला कार्यालय का नाम	चिकित्सा प्रतिपूर्ति 06 01	कार्यालय व्यय 13 01	दूरभाष 13 03	विद्युत प्रभार 13 04	भाड़े की गाड़ी का भुतान 13 10	संविदा सेवाएँ 28 02	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	जिला पदाधिकारी, छपरा (सारण)	00	1,00,000	50,000	10,00,000	00	00	11,50,000
	कुल योग:-	00	1,00,000	50,000	10,00,000	00	00	11,50,000

3. उक्त व्यय का वहन मुख्यशीर्ष-3456, सिविल पूर्ति, उपमुख्य शीर्ष-00, लघुशीर्ष-001 निदेशन तथा प्रशासन, उपशीर्ष-0002 जिला प्रभार, विपत्र कोड सं०-18-3456000010002 अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए उपबंधित राशि के अन्तर्गत होगा।

4. वित्त विभाग के पत्रांक-235 दिनांक-01.04.2025, पत्रांक-227/वि० दिनांक-28.03.2025, पत्रांक-600 दिनांक-06.08.2025 एवं पत्रांक-2561/वि० दिनांक-17.04.1998 के आलोक में आवंटन आदेश निर्गत किया जा रहा है। स्थापना प्रतिबद्ध व्यय मदों में व्यय पूरे वर्ष के लिए किये गये बजट उपबंध के अनुसार ही आवश्यकता को देखते हुए किया जायेगा। महालेखाकार से व्यय का नियमित रूप से मिलान कराया जाय तथा निकासी के समय वित्त विभाग द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निर्गत परिपत्रों का पालन किया जाय। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा विपत्र में यह अंकित किया जायेगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटन के राशि अधीन है। संबंधित विपत्र में विभाग के आवंटन आदेश की संख्या तथा तिथि का भी उल्लेख कराना होगा जिसके आधार पर संबंधित विपत्र में निहित राशि की निकासी की जा रही है।

5. जिला पदाधिकारी अपने अधीनस्थ जिला आपूर्ति कार्यालय/अनुमण्डल आपूर्ति कार्यालय को अपने स्तर से उपआवंटन निर्गत करेंगे तथा उसकी सूचना विभाग तथा संबंधित कोषागार पदाधिकारी को भी देंगे।
6. वित्तीय वर्ष 2025-26 में व्यय नहीं हो सकने वाली राशि का प्रत्यपण ससमय अवश्य कर दिया जाए।
7. वित्तीय वर्ष 2025-26 में व्यय के पश्चात् व्ययित राशि का व्यय प्रतिवेदन वित्तीय वर्ष समाप्ति के पश्चात् अनिवार्य रूप से विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
8. आवंटन प्रस्ताव/प्रारूप पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन

सरकार के सचिव

ज्ञापांक-प्र05(2)बजट (स्था0प्रति0)-01/2025 41 (अण्ट) /खाद्य,पटना, दिनांक-14/11/25
प्रतिलिपि:-महालेखाकार बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव

ज्ञापांक-प्र05(2)बजट (स्था0प्रति0)-01/2025 41 (अण्ट) /खाद्य,पटना, दिनांक-14/11/25
प्रतिलिपि:-वित्त विभाग (बजट शाखा) बिहार, पटना/संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव

ज्ञापांक-प्र05(2)बजट (स्था0प्रति0)-01/2025 41 (अण्ट) /खाद्य,पटना, दिनांक-14/11/25
प्रतिलिपि:-संबंधित जिला आपूर्ति पदाधिकारी/ संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव

ज्ञापांक-प्र05(2)बजट (स्था0प्रति0)-01/2025 41 (अण्ट) /खाद्य,पटना, दिनांक-14/11/25
प्रतिलिपि:-माननीय मंत्री के आप्त सचिव/आई0 टी0 मैनेजर, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण बिहार, पटना को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव

45m